

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 406]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 6, 2014/श्रावण 15, 1936

No. 406]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 6, 2014/SHRAVANA 15, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2014

सा.का.िन. **564(अ)**.—केन्द्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 66 के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.िन 381(अ), तारीख 27 जून, 2006 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्यांक (17) और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(18) संख्या फा.सं. 11/2/2009-एडी.ई.डी, तारीख 29 मई, 2014 द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खण्ड-1 में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा गठित विशेष अन्वेषण दल।"

[फा.सं. पी. 12011/2/2009-एस.ओ. (ई.एस. सैल)]

बिप्लब कुमार नस्कर, अवर सचिव

3112 GI/2014 (1)

टिप्पणः मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.िन. 381(अ), तारीख 27 जून, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें संख्यांक सा.का.िन. 929(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 2009, सा.का.िन. 763(अ), तारीख 15 सितम्बर, 2010, सा.का.िन. 957(अ), तारीख 7 दिसम्बर, 2010, सा.का.िन. 735(अ), तारीख 1 अक्तूबर, 2012 और सा.का.िन. 30(अ), तारीख 17 जनवरी, 2014 द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किये गये ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th August, 2014

G.S.R. 564(E).—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of section 66 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 381(E) dated the 27th June, 2006, namely:—

In the said notification, after serial number (17) and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely:—

"(18) Special Investigation Team constituted *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section-1 *vide* number F.No.11/2/2009-Ad. E.D. dated the 29th May, 2014."

[F. No. P.12011/2/2009-S.O.(E.S. Cell)] BIPLAB KUMAR NASKAR, Under Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i), *vide* number G.S.R. 381(E), dated the 27th June, 2006 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 929(E), dated the 29th December, 2009, G.S.R. 763(E), dated the 15th September, 2010, G.S.R. 957(E), dated the 7th December, 2010, G.S.R. 735(E), dated the 1st October, 2012 and G.S.R. 30(E), dated the 17th January, 2014.